प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 26/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन हेतु फ्रेमवर्क'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज ''प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन हेतु फ्रेमवर्क'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। जिसमें सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

यह परामर्श पत्र प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर सभी हितधारकों की टिप्पणियां/राय प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है, ताकि उचित विनियामक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकें।

डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स (डीएएस) पर भादूविप्रा की 5 अगस्त, 2010 की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने केबल टीवी विनियम अधिनियम, 1995 में संशोधन किया। संशोधन जून 2012 से शुरू होने वाले चार चरणों में केबल टेलीविजन क्षेत्र में डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप निर्धारित करता है। केबल क्षेत्र में डिजिटलीकरण को चार चरणों में लागू किया गया था और इसे 31 मार्च 2017 तक पूरे देश में पूरा किया गया है। डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) सेवा प्रदाताओं के बीच पारदर्शिता लाता है और उपभोक्ता को टेलीविजन चैनल के विशिष्ट विकल्प प्रदान करने के अंतिम उद्देश्य को पूरा करता है। सीएसएस और एसएमएस कंटेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन को सक्षम करके उनके व्यक्तिगत विकल्पों के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए कोर सिस्टम बनाते हैं,

3. प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए प्रचलित विनियामक फ्रेमवर्क, जिसमें सीएएस व एसएमएस 'दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017' की अनुसूची 3 में दिए गए फीचर्स का अनुपालन करते हैं। अनुसूची 3 अन्य बातों के साथ–साथ सीएएस व एसएमएस के लिए बेंचमार्क फीचर्स/तकनीकी मानदंडों को निर्दिष्ट करता है। हालांकि, ये आवश्यकताएं प्रकृति में काफी सामान्य हैं। ये आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार के सीएएस और एसएमएस सिस्टम को इको–सिस्टम में मौजूद होने की अनुमति देती हैं। स्थापित किए गए कुछ सीएएस अग्रिम एम्बेडेड सुरक्षा का उपयोग कर रहे हैं, अन्य गैर–मानक समाधानों पर आधारित हैं, जो इसे हैकिंग के लिए कमजोर बनाते हैं, इससे सामग्री की सुरक्षा को खतरा होता है। इसके अलावा, अधिकांश सीएएस कंपनियों के पास अपने एसएमएस, मिडलवेयर और यूजर इंटरफेस नहीं हैं। इससे वितरण प्लेटफॉर्म मालिकों की तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर समाधान पर निर्भतर बढ़ती है। कई डीपीओ के पास अपनी तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है इसलिए, वे उप–मानक समाधानों के कारण समस्याओं का सामना करते हैं।

4. प्राधिकरण पाइरेटेड सिग्नलों की चोरी और वितरण के बारे में नियमित रूप से विभिन्न प्रसारकों से शिकायत प्राप्त करता है। विश्लेषण के अनुसार सीएएस/एसएमएस के स्थापना के कारण इस तरह की बहुत सी चोरी होती है जो सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करती है। 14 जनवरी, 2020 को आयोजित प्राधिकरण के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वार्षिक संवाद के दौरान हितधारकों

Scanned with CamScanner

ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है।

5. प्राधिकरण ने देश भर में विभिन्न सीएएस और एसएमएस की स्थापना से उत्पन्न मुद्दों की जांच की है। ये सभी चिंताएँ नेटवर्क में सीएएस/एसएमएस सिस्टम स्थापित होने से पहले न्यूनतम तकनीकी विशिष्टताओं के अनुपालन की आवश्यकता को दर्शाती हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ, भादूविप्रा इस परामर्श पत्र जारी कर रहा है। कागज उप–मानक सीएएस और एसएमएस सिस्टम की स्थापना से उत्पन्न मुद्दों, अंतर्निहित बुरे प्रभावों और संभावित उपायों पर विचार–विमर्श करने का प्रयास करता है।

6. हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 20 मई, 2020 तक और प्रति–टिप्पणियां 3 जून, 2020 तक भेजने का अनुरोध किया जाता है। टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।

7. टिप्पणियां/प्रति–टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), भादूविप्रा को ईमेल advbcs-2@trai.gov.in या jadvisor-bcs@trai.gov.in पर भेज सकते हैं।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से टेलीफोन नंबर +91–11–23237922 या फैक्स +91-11-23220442 या उपर्युक्त ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस.के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।</u>

Scanned with CamScanner